

अंचल कार्यालय, महागामा

केश का प्रकार :-

अभिलेख संख्या :- 100/16-12

अपर समाहर्ता गोड्डा के पत्रांक 615/ रा0 दिनांक 17.05.2016 के आधार पर किया गया है जिसमें उन्होंने श्री मति राजबाला बर्मा मुख्य सचिव झारखंड सरकार द्वारा संदेहास्पद जमाबंदी की अभियान चलाकर जाँच कर समयवद्ध प्रभाव कारी कदम उठाते हुए अवैध जमाबंदी रद्द कर अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देश प्राप्त है। अतः पत्र कि प्रति सभी राजस्व कर्मचारियों को निर्गत करते हुए पत्र में वर्णित विन्दुओं पर जाँच प्रतिवेदन मांग की गई। उक्त पत्र के अनुपालन में हल्का कर्मचारी श्री शारदा प्रो वास्त का जाँच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक श्री शारदा प्रो वास्त का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जिसमें उन्होंने प्रतिवेदित किया है कि मौजा पुडुआ थाना नं0 692 गैरमजरूआ खाता नं0 24/15 दाग नं0 22 रकबा 13-14-00 किस्म धानी करीम श्री गोविन्द राय पति देवी राम भावाडी साकिन के नाम से पंजी 2 में नया जमाबंदी कायम है। जो संदेहास्पद प्रतीत होता है। अतः श्री गोविन्द राय को दिनांक 24/5/16 समय 11/11/00 पुर्वाहान् में उक्त भूमि प्राप्त करने से संबंधित दस्तावेज की मूल प्रति सत्यापन हेतु अधोहस्ताक्षरी के समक्ष समर्पित करने का नोटिश निर्गत करें।

be
21/7/16

अंचल अधिकारी,
महागामा।

20/7/16

अभिलेख संख्या 100/16-12। नमोम युव अंचल पत्रा श्री युव रिवेडकाल उपस्थित। उन्होंने हल्कावेन समर्पित करने हेतु समय की जाँच किया गया है तथा कि अभिलेख दिनांक 11/7/16 को उपस्थित करें।

be
20/7/16
318 310

anaha

15/5/19

अत्रिलेख (उपस्थापित)।
मौखिक निर्गत करें।



अंचल अधिकारी
महागामा।

15-7-19

अत्रिलेख (उपस्थापित)।
मौखिक निर्गत नहीं हो पाता है। क्योंकि अनुबंधक
ने प्रतिवेदन किया है कि इसका कोई परिवार नहीं है।

31/7/2020

अत्रिलेख (उपस्थापित)।
मौखिक निर्गत करें।



अंचल अधिकारी
महागामा।


10/11/2020

अत्रिलेख उपस्थापित।

राजस्व उपनिरीक्षक - सह-प्रभारी-अंचल निरीक्षक,
महागामा से प्रसंगत भूमि का मौखिक प्रतिवेदन
के साथ अत्रिलेखीय प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है,
जिसका अवलोकन किया, प्रतिवेदनानुसार अर्बेय
संदेशारूपद पंजी-II श्रेय को भूमि सक्षम
पदाधिकारी से प्राप्त है। वर्तमान में उक्त
भूमि ई.सी. एल. ECL के अधिग्रहण क्षेत्र
के अन्तर्गत है।

अतः उपरोक्त के आलोक में
अत्रिलेख की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित

अ. अ.
महागामा


अंचल अधिकारी
महागामा

सेवा में,

श्रीमान् अंचल अधिकारी,
महागामा।

विषय :-

अवैध संदेहास्पाद वाद संख्या 100/2016-17 गोविन्द राम
पिता-देवी राम पारवाड़ी का जांच प्रतिवेदन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि अवैध संदेहास्पाद वाद

संख्या 100/2016-17 गोविन्द राम पिता-देवी राम पारवाड़ी

का जांच प्रतिवेदन का जांच किया जांचोपरांत पाया कि प्रश्नगत भूमि

मौजा-बसुआ, थाना नं0-692 के गैरमजरुआ खाता सं0-24/55 के अंदर

दाग नं0-32 का अंश रकवा 03-14-70 घूर किस्म- परती-कदीम

अंचल अधिकारी, महागामा/अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के केश

नं0- के माध्यम से गोविन्द राम पिता- देवी राम पारवाड़ी को प्राप्त हुआ है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है। प्रश्नगत

भूमि ई0सी0एल0 के द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया है।

अतः उपरोक्त के आलोक में उक्त जमाबंदी को सही मानते हुये
अभिलेख की कार्रवाई बंद की जा सकती है। जांच प्रतिवेदन सादर सूचनार्थ
समर्पित।

विश्वासमाजन

10.12.22
PM
G